

ब्यूज टुडे

भारत ने सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का विस्तार किया

इस पहल के पायलट चरण के अंतर्गत, 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) में 9,750 मीट्रिक टन क्षमता वाली भंडारण इकाइयों का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया था।

► पायलट चरण की सफलता को देखते हुए सरकार ने जमीनी स्तर पर भंडारण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 500 से अधिक अतिरिक्त PACS का चयन किया है।

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में

► मंत्रालय: सहकारिता मंत्रालय।

► उद्देश्य: मौजूदा योजनाओं अर्थात कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना आदि का अभिसरण करके PACS के स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ अन्य कृषि अवसंरचनाओं जैसे गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि की स्थापना करना।

► कार्यान्वयन एजेंसियां: इनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, आदि शामिल हैं।

► PACS को लाभ: कृषि संबंधी अवसंरचना के निर्माण के लिए PACS सब्सिडी और ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकती हैं।

महत्व

► खाद्य सुरक्षा: विकेंद्रीकृत भंडारण से अनाज की बर्बादी कम होगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

⊕ 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 मीट्रिक मिलियन टन (MMT) है, जबकि कुल भंडारण क्षमता 145 MMT है। यह 47% की कमी को दर्शाता है।

► ऋण तक पहुंच: किसान अपने उत्पाद को PACS में बने गोदामों में सुरक्षित रखकर अगले फसल चक्र के लिए तात्कालिक वित्त या ब्रिज फाइनेंस प्राप्त कर सकते हैं।

► आय सुरक्षा: किसान अपने उत्पादों को गोदामों में स्टोर करके बाजार में बेहतर मूल्य मिलने पर बेच सकते हैं या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर PACS को बेच सकते हैं।

भंडारण क्षमता को मजबूत करने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

► राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास योजना (NCCD): शीत खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला भंडारण का निर्माण करना।

► ग्रामीण भंडारण योजना: इसके तहत गांवों में भंडारण की कमी को दूर करने के लिए ग्रामीण गोदामों को सब्सिडी प्रदान की जाती है।

► अन्य: प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी (PEG) योजना, पी.एम. किसान संपदा योजना आदि।

अविश्वास मत पारित होने के बाद फ्रांस की सरकार गिर गई

अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद फ्रांसीसी प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिससे फ्रांस की सरकार गिर गई।

भारतीय और फ्रांसीसी राजव्यवस्था की तुलनात्मक विशेषताएं

भारतीय और फ्रांसीसी राजव्यवस्था की तुलनात्मक विशेषताएं		
विशेषताएं	भारत	फ्रांस
 संघवाद	भारत एकतात्मक विशेषताओं के साथ संघीय संरचना वाला देश है।	फ्रांस एक विकेंद्रित आधार पर संगठित एकात्मक देश है।
 सरकार के रूप	संसदीय प्रणाली: राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है और प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है।	अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली: राष्ट्रपति (प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) के पास पर्याप्त शक्ति होती है और प्रधान मंत्री दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है।
 राष्ट्रपति	राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है तथा उसके पुनः निर्वाचित होने की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती है।	राष्ट्रपति का चुनाव सार्वभौमिक प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा होता है। इसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और उसे केवल एक बार ही पुनः निर्वाचित किया जा सकता है।
 पंथनिरपेक्षता	भारतीय पंथनिरपेक्षता की विशेषता सकारात्मक पंथनिरपेक्षता है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखेगा। यह पंथनिरपेक्षता राज्य को सभी धर्मों के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है।	राज्य और चर्च के बीच सख्त पृथक्करण लागू है। यह पंथनिरपेक्षता के प्रति अधिक कठोर दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो धार्मिक मामलों में किसी भी राज्य की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है।
 जनमत संग्रह	भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है।	फ्रांसीसी संविधान में स्पष्ट रूप से जनमत संग्रह का प्रावधान है।

भारतीय और फ्रांसीसी राजव्यवस्था के बीच समानताओं में लिखित संविधान, द्विसदनीय संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि शामिल हैं।

डिजिटल कृषि मिशन के तहत 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)' के विकास में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की

गुजरात देश का पहला राज्य है, जिसने राज्य के 25% लक्षित किसानों के लिए किसान पहचान पत्र (ID) तैयार कर लिए हैं।

- मध्य प्रदेश में 9% और महाराष्ट्र में 2% लक्षित किसानों को ID जारी की गई है। उत्तर-प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों ने भी किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान आईडी के बारे में
- किसान आईडी वास्तव में आधार-नंबर से जुड़ी किसानों की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है। यह पहचान-पत्र राज्य की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली से स्वतः जुड़ा हुआ है।
 - ⊕ इसका अर्थ है कि किसी व्यक्तिगत किसान के भूमि रिकॉर्ड विवरण में कोई भी बदलाव किसान आईडी में स्वतः अपडेट हो जाता है।
- डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल रूप से प्राप्त फसल बुआई क्षेत्र डेटा और किसान आईडी के उद्देश्य किसान-केंद्रित निम्नलिखित लाभ प्रदान करना है:
 - ⊕ किसानों को सरकारी योजनाओं का आसानी से और बिना बाधा के लाभ पहुंचाना;
 - ⊕ बिना किसी कागजी कार्रवाई के और डिजिटल रूप में फसल ऋण वितरण को सुविधाजनक बनाना, ताकि ऋण आवेदन को एक घंटे में मंजूरी दी जा सके;
 - ⊕ किसान की ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत कृषि विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराना;
 - ⊕ प्रत्यक्ष और पारदर्शी तरीके से योजनाओं की राशि अंतरण (ट्रांसफर) करना;
 - ⊕ बाज़ार कनेक्टिविटी में सुधार करना और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना;
- यह अभियान व्यापक मानक डिजिटल कृषि प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानक डिजिटल कृषि प्रणाली, 'एग्री स्टैक पहल' का हिस्सा है।

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के बारे में

- यह मिशन अलग-अलग डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ⊕ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) बनाना,
 - ⊕ डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) को लागू करना और
 - ⊕ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों आदि द्वारा IT पहलों का समर्थन करना।
- इस योजना के दो मूलभूत स्तंभ हैं:
 - ⊕ एग्री स्टैक: इसमें किसानों की रजिस्ट्री, गांव के भू-संदर्भित नक्शे और फसल बुआई रजिस्ट्री शामिल हैं।
 - ⊕ कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi Decision Support System): यह रिमोट सेंसिंग डेटा को व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली से जोड़ती है, ताकि कृषि के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान की जा सके।

भारत में 2000-2024 की अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को पार कर गया

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 2014 से भारत ने लगभग 667 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2014-24) का संचयी FDI प्राप्त किया है। यह निवेश 2004-14 के पिछले दशक की तुलना में 119 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

भारत में FDI से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत में FDI करने वाले मुख्य देश:
 - ⊕ भारत में सबसे अधिक 25% FDI मॉरीशस से प्राप्त हुआ है। इसके बाद सिंगापुर (24%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (10%) का स्थान है। भारत में FDI के अन्य प्रमुख स्रोत देश हैं- नीदरलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, साइप्रस और कैमैन आइलैंड्स।
- भारत में FDI आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रक:
 - ⊕ सर्वाधिक 16% FDI सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (15%); ट्रेडिंग (7%) तथा दूरसंचार (6%) क्षेत्रों का स्थान है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

- इसका अर्थ है भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में पूंजीगत साधनों के माध्यम से निवेश करना; अथवा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के फुली डाइल्यूटेड आधार पर 'शेयर जारी होने के बाद पेड-अप इक्विटी पूंजी' के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक निवेश करना।
- यह पूंजी प्रवाह मुख्य रूप से गैर-ऋण श्रेणी का होता है।

FDI का महत्व:

- FDI के माध्यम से प्रौद्योगिकियां भी आती हैं, विशेष रूप से नए प्रकार के पूंजीगत इनपुट प्राप्त होते हैं।
 - ⊕ ये प्रौद्योगिकियां वित्तीय निवेश या वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं।
- FDI प्राप्त करने वाली कंपनियों को नए व्यवसायों के संचालन के दौरान अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधा भी प्राप्त होती है। इससे FDI प्राप्त करने वाले देश में मानव पूंजी का विकास होता है।
- FDI से प्राप्त होने वाले लाभ से किसी देश के कॉर्पोरेट कर राजस्व में वृद्धि होती है।
- FDI भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखती है और मुद्रा विनियम बाजार में रुपये के मूल्य को समर्थन प्रदान करती है।

भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकारी नीतियां

- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है।
 - ⊕ भारत में लगभग 90% FDI स्वचालित मार्ग के तहत प्राप्त होती है।
- लगभग 42,000 नियमों के अनुपालन को कम कर दिया गया है और 3,800 से अधिक प्रावधानों के तहत कृत्यों/ उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बना दिया गया है।
 - ⊕ इसी उद्देश्य से जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू किया गया है।
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पोर्टल विकसित किया है। यह देश में विनियामक संबंधी सभी अनुमतियों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप सेंटर है।

केंद्रीय रेल मंत्री ने लोक सभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया

यह विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करने और रेलवे बोर्ड से जुड़े इसके प्रावधानों को भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 में समाहित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इससे रेलवे बोर्ड को वैधानिक समर्थन प्रदान किया जाएगा।

- भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार रेलवे के संबंध में अपनी शक्तियों और कार्यों को रेलवे बोर्ड को सौंप सकती है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर एक नजर

- एक वैधानिक संस्था के रूप में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाएगा।
 - केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यता, अनुभव, सेवा के नियम और शर्तें निर्धारित करेगी। साथ ही, बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए नियुक्ति की पद्धति तय करेगी।
 - रेलवे बोर्ड कुशल प्रबंधन और नीतिगत कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए भारतीय रेलवे के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगा।
- रेलवे जोनों को अधिक स्वायत्तता: परिचालन दक्षता में सुधार करने और शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देने का प्रावधान किया गया है।
- स्वतंत्र विनियामक: विधेयक में प्रशुल्क, सुरक्षा और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित भारतीय रेलवे के अलग-अलग पहलुओं की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र विनियामक निकाय के गठन का प्रावधान किया गया है।
- हालांकि, विधेयक भारतीय रेलवे की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को बरकरार रखता है।

संभावित प्रभाव:

- इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता में वृद्धि होगी।
- रेलवे जोनों के विकेंद्रीकरण और सशक्तीकरण से निर्णय लेने में तेजी आएगी।
- स्वतंत्र विनियामक निकाय रेलवे क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।
- यह रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे किराए में बढ़ोतरी हो सकती है और सरकारी सब्सिडी कम हो सकती है।



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (ATR) में जनजातियों के लिए वन अधिकार स्वीकृत किए गए

जिला स्तरीय समिति ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (ATR) में नगरुथु-I, नगरुथु-II और चिन्नारपति जनजातीय बस्तियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों को मंजूरी दे दी है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम को सामान्य रूप से वन अधिकार अधिनियम (FRA) के नाम से जाना जाता है। इसे 2006 में अधिनियमित किया गया था।
- उद्देश्य: वनवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना तथा उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त वन अधिकार:
 - व्यक्तिगत अधिकार: इसमें स्वयं खेती करने और निवास, स्वस्थाने पुनर्वास आदि के अधिकार शामिल हैं।
 - सामुदायिक अधिकार: इसमें वनों में जल निकासों के उपयोग, मछली पकड़ने और चरागाह के उपयोग तथा बौद्धिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान का अधिकार, पारंपरिक प्रथागत अधिकारों के संरक्षण का अधिकार आदि शामिल हैं।
- पात्रता: अधिकारों का दावा ऐसे किसी भी सदस्य या समुदाय द्वारा किया जा सकता है, जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से वनों में रहता आ रहा हो।
- महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास: इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को वन्यजीव संरक्षण के तहत रखना होगा।

वन अधिकार प्रदान करने वाले प्राधिकरण

- ग्राम सभा: यह व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा तय करने की प्रक्रिया शुरू करती है।
- उपखंड स्तर की समिति: राज्य सरकार द्वारा गठित यह समिति, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की जांच करती है।
- जिला स्तर की समिति: यह वन अधिकारों को अंतिम मंजूरी प्रदान करती है।

चुनौतियां (जाक्सा समिति)

- इसमें मनमाने ढंग से दावों को खारिज करना; दावों के समाधान के लिए कोई समय-सीमा न होना; विकास संबंधी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना आदि शामिल हैं।

अन्य सुर्खियां



एशियाई विकास बैंक (ADB)

भारत और एशियाई विकास बैंक ने मेघालय में जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए 50 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

- स्थापना: इसे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 1966 में स्थापित किया गया था।
- मुख्यालय: मंडालूयोंग (फिलीपींस)।
- उद्देश्य:
 - समृद्ध, समावेशी, लचीला और संधारणीय एशिया व प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना;
 - एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चरम गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों को समर्थन करना।
- सदस्य: 69 सदस्य। इनमें एशिया-प्रशांत से 49 और अन्य क्षेत्रों से 19 सदस्य शामिल हैं। भारत भी इसका सदस्य है।
- कार्य:
 - यह सदस्य देशों को ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
 - यह अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।



विश्व ध्यान दिवस (World Meditation Day)

संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को 'विश्व ध्यान दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

विश्व ध्यान दिवस के बारे में

- 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया। यह संकल्प लिकटेंस्टाइन ने प्रस्तुत किया था और भारत द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था।
- उद्देश्य: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य व्यापक मानव कल्याण है, जिसमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण भी शामिल हैं।
- 21 दिसंबर का महत्व:
 - शीत अयनांत (Winter Solstice) दिवस: यह भारतीय परंपरा में उत्तरायण (आंतरिक चिंतन के लिए शुभ समय) की शुरुआत का प्रतीक है।
 - पूरक तिथि: शीत अयनांत के ठीक छह महीने बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
 - 21 जून को ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice) पड़ता है।



अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने 'ऊर्जा और AI पर वैश्विक सम्मेलन' आयोजित किया।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के बारे में

- मुख्यालय: पेरिस (फ्रांस)।
- स्थापना: वर्ष 1973 के तेल संकट को देखते हुए 1974 में स्थापना की गई थी।
- उद्देश्य: सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा संधारणीय ऊर्जा नीतियों, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना।
- सदस्य: 32 सदस्य देश, 13 एसोसिएशन देश और 4 एक्सेसरी देश।
 - 2017 से भारत IEA का एसोसिएट सदस्य है।
- IEA का सदस्य बनने की निम्नलिखित शर्तें हैं:
 - आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) का सदस्य होना चाहिए।
 - साझा ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करना। इसमें हर समय 90 दिनों के निवल आयात (खपत) के बराबर आपातकालीन तेल भंडार सुरक्षित रखना शामिल है।
- महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स: वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल EV आउटलुक आदि।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

EPFO ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ISSA) का 'गुड प्रैक्टिस अवार्ड' जीता।

EPFO के बारे में

- स्थापना: कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश, 1951 के माध्यम से EPFO की स्थापना की गई थी। बाद में इस अध्यादेश की जगह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 ने ले ली थी।
- इस अधिनियम को अब कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 कहा जाता है
- नोडल मंत्रालय: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय।
- मिशन: सरकार द्वारा प्रबंधित वृद्धावस्था आय सुरक्षा कार्यक्रमों की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना।
- EPFO निम्नलिखित तीन योजनाओं का प्रबंधन करता है:
 - कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना 1952,
 - कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995,
 - एप्लॉय डिपॉजिट लिंकड इश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976.



एंड्रोमेडा गैलेक्सी

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने पहली बार एंड्रोमेडा गैलेक्सी में नोवा से पराबैंगनी उत्सर्जन का अवलोकन किया।

खगोलविदों ने उत्सर्जन का पता लगाने के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एस्ट्रोसैट डेटा का उपयोग किया।

एंड्रोमेडा गैलेक्सी (मसियर 31) के बारे में

- यह हमारी आकाशगंगा (मिल्की वे) की सबसे निकटतम प्रमुख आकाशगंगा है।
- यह एक सर्पिल आकाशगंगा है, जो पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
- M31 तारामंडल एंड्रोमेडा में स्थित है।

एस्ट्रोसैट मिशन

- यह भारत का पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है। इसका उद्देश्य एक्स-रे, ऑप्टिकल और पराबैंगनी (UV) स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना है।
- यह एक ही उपग्रह के साथ अलग-अलग खगोलीय पिंडों के एक साथ बहु-तरंगदैर्घ्य अवलोकन को सक्षम बनाता है।



अंगामी नागा जनजाति

अंगामी नागा जनजाति ने नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल के तहत 'पत्थर खींचने के उत्सव' में भाग लिया। अंगामी नागा जनजाति के बारे में

- अधिवास स्थान: वे मुख्य रूप से नागालैंड के कोहिमा और दीमापुर जिलों में रहते हैं।
 - उनके गांव कबीलाई विभाजन के आधार पर खेल (थिनुओ) नामक संगठन के रूप में संगठित हैं।
- भाषा: तिब्बती-बर्मी भाषा-परिवार की तेन्यीडी भाषा। यह भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है।
- त्योहार: सेक्रेनयी। यह अंगामी संस्कृति में फसल कटाई का एक प्रमुख त्योहार है।
- पारंपरिक वेशभूषा: लोरुमहौशु, लोहे, रतापफे और किल्ट।
- धर्म: मुख्य रूप से ईसाई।
- ऐतिहासिक घटना: ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अंगामी विद्रोह (1879) उनके इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है।



मारखोर

मारखोर को दुर्लभ रूप से कश्मीर में देखा गया है।

मारखोर के बारे में

- यह विश्व की सबसे बड़ी जंगली बकरी है।
- पर्यावास: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान।
 - भारत में यह जीव केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K) में पाया जाता है।
- संरक्षण स्थिति:
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।
 - IUCN लाल सूची: नियर थ्रेटेन्ड श्रेणी में शामिल है।
 - वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध है।
- संरक्षण प्रयास:
 - वैश्विक: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 24 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस घोषित किया था।
 - भारत: भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट कश्मीर मारखोर रिकवरी प्रोजेक्ट का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर ने मारखोर के लिए तातकूटी वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया है।



टंगस्टन

खान मंत्रालय ने जैव विविधता से समृद्ध विरासत क्षेत्र मेलूर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को टंगस्टन खनन अधिकार प्रदान किया है। इस निर्णय का जनता, पर्यावरणविदों और राजनेताओं ने कड़ा विरोध किया है।

टंगस्टन के बारे में

- स्वरूप: यह एक चमकदार, चांदी जैसी सफेद धातु है।
- गुण: इसका गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है।
- प्रमुख टंगस्टन युक्त अयस्क: स्कीलाइट और वुल्फ्रामाइट हैं।
- उपयोग:
 - प्रकाश बल्बों के फिलामेंट्स बनाने में;
 - आर्क-वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में;
 - टंगस्टन कार्बाइड का इस्तेमाल 'वर्द रहित' डेंटल ड्रिल में होता है, जो अल्ट्रा-हाई स्पीड पर घूमती है आदि।
- कमियां:
 - यह धातु बहुत अधिक ऊर्जा कुशल नहीं है;
 - यह प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के अनुसार, टंगस्टन एक प्रमुख खनिज है।

सुर्खियों में रहे स्थल



नॉर्वे (राजधानी: ओस्लो)

भारत और नॉर्वे ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) समझौते के तहत निवेश पर चर्चा की।

नॉर्वे के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति
 - अवस्थिति: इसका विस्तार उत्तरी यूरोप और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के आधे पश्चिमी हिस्से पर है।
 - सीमावर्ती राष्ट्र: स्वीडन, फ़िनलैंड और रूस।
 - सीमावर्ती जल निकाय: उत्तर में बैरेंट्स सागर; पश्चिम में नॉर्वेजियन सागर और उत्तरी सागर; तथा दक्षिण में स्केगरक जलसंधि (स्केगर जलडमरूमध्य) स्थित है।
- भौगोलिक विशेषताएं:
 - नॉर्वे के लगभग दो-तिहाई भाग पर पहाड़ियां मौजूद हैं। इसके कटे-फटे समुद्र तट के अधिकांश भाग पर गहरे हिमनदीय फियोर्ड्स स्थित हैं।
 - फियोर्ड्स: ये समुद्री जल से भरे बहुत गहरे हिमनदीय गर्त हैं, जो उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए- सोगन (सोरो) फियोर्ड आदि।
 - नॉर्वे में कई पेनेप्लेन्स नामक विस्तृत क्षेत्र भी मौजूद हैं। हालांकि, इनका उभार काफी हद तक क्षति हो चुका है।
 - पेनेप्लेन कुछ-कुछ उभारदार, तथा लगभग समतल मैदान हैं। इनका निर्माण नदी के कटाव से होता है।
 - नॉर्वेजियन थारा अपेक्षाकृत गर्म जल को नॉर्वे के तट के साथ उत्तर की ओर ले जाती है।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची